को पेश हो / [signature]

8 3/16 [illegible] उपस्थित। वादीगण का बयान [illegible] लिया जाता है पत्रावली [illegible] से कम होकर [illegible] शामिल [illegible] की [illegible] [illegible] आदेश से [illegible] [illegible] आ.पत्रा. किया गया। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0 323/2012 दायरा दिनांक 28.12.2012 निर्णय दिनांक 8.3.16

उनवान

1. जगदीश
2. सुभाष
3. दीवान पुत्रान लालसिंह जाति यादव
4. इन्दरपाल
5. जतनपाल पुत्रान रामकंवार
6. रामकंवार पुत्र ननवांराम यादव
7. महावीर पुत्र ननवांराम यादव
8. सारलीदेवी पत्नि महावीर
9. श्यामबीर पुत्र महावीर यादव जाति निवासी खेडकी हाल मानेसर तहसील मानेसर जिला गुडगावा हरियाना।

:– वादीगण

बनाम

1. लीलाराम पुत्र अमीचन्द
2. बब्बल दत्तक पुत्र कन्हैया
3. माडाराम पुत्र उमदा
4. संतराम
5. मवासीराम पुत्रान अमरसिंह जाति गूर्जर निवासी खेडी तह0कोटकासिम जिला अलवर राज0
6. शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक शाखा कोटकासिम (अलवर)।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री मनोज यादव अधिवक्ता, वादीगण
2. श्री राकेशकुमार अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादीगण की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये है कि आराजी ख0नं0 118 रकबा 5–10 बीघा का 3/4 हिस्सा 107 रकबा 2–04 बीघा, 108 रकबा 1–18 बीघा किता 2 रकबा 4–02 का 3/8 भाग वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 मिन वादीगण की खरीद शुदा आराजी है । इस वाद में खसरा नम्बर 118 का 3/8 भाग विवादित आराजी है। उपरोक्त आराजियात को वादीगण ने बाजाप्ता बाकायदा प्रतिफल राशि अदा कर प्रतिवादीगण से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा संख्या 11 दिनांक 03.01.1996 को तत्कालीन खातेदारान अमीचन्द, उमदा, कन्हैया पुत्रान नन्दराम कौम गूर्जर निवासी खेडी तह0 कोटकासिम से खरीद की है। वक्त खरीद से वादीगण आराजी दर्ज विक्रयपत्र पर काबिज वो दखिल चले आ रहे है। मौके पर आज भी कब्जा है। बयनामा क्रमांक 11 दिनांक 03.01.1996 के आधार पर नामान्तकरण खातेदारी सं0 349 दिनांक 29.01.1996 को विधिवत दर्ज व स्वीकार फरमाया हुआ है। जो बाद जांच विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर स्वीकार हुआ है। तत्कालीन जमाबन्दी संवत 2050 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 118/5–10 बीघा का 3/4 भाग अमीचन्द, कन्हैया, व उमदा पुत्रान नन्दराम के नाम समभाग खातेदारी का था, और उन्होने अपना सालिम हिस्स 3/4 भाग का बेचान वादीगण को करके आराजी पर कब्जाा सोंप दिया था। इन्तकाल खातेदारी नामा0 सं0 349 के आधार पर चौसाला जमाबन्दी संवत 2054 में विवादित खसरा नम्बर 118 का 3/4 भाग की बाबत इन्द्राज वादीगण के नाम दर्ज नहीं होकर पुनः प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। जिस गलत इन्द्राज की ताहाल जमाबन्दीयात में पुनरावृति होती आ रही है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मूल बयनामा लौटाते समय यह आश्वासन दिया कि आपके नाम का इन्तकाल दर्ज हो चुका है। जिससे आश्वस्त होकर वादीगण आराजी की जोत बहा करते रहे एवं सालिम रकबा 3/4 भाग पर आज भी वादीगण का ही कब्जा है। बाद बेचान विक्रेतागण का आराजी से या उसके किसी जुज भाग से लेना देना नहीं रहा, ना कब्जा रहा है। प्रतिवादीगण गैर काबिज गैर वास्ता आराजी है। किन्तु गलत इन्द्राज के कायम रहने से वादीगण के कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है दिनांक 18.12.2012 को तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि आराजी आपके नाम नहीं है पूर्व खातेदारों के नाम चली आ रही है। जिसकी नकलात लेकर वादीगण ने प्रतिवादी सं 1 से चलकर उपरोक्त अंकन को सही कराने को कहा तो उसने मना कर दिया। इसलिऐ वादीगण जर्ये अदालत उपरोक्त गलत अंकन को हजफ कराकर अपने नाम का इन्द्राज मुताबिक बयनामा दिनांक 03.01.1996 व नामान्तकरण संख्या 349 के अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी है तथा जो इन्द्राजात पूर्व खातेदारों एवं तत्तपश्चात उनके वारिसान के नाम संवत 2054 से ताहाल जमाबन्दियात में खिलाफ मौका कब्जा एवं खिलाफ कानून दर्ज हो रही है उसे नल एण्ड वोइड करार दिलाकर कलमजन कराने के अधिकारी है तथा राजस्व पत्रादि में अपने नाम का अंकन 3/4 भाग पर दर्ज करा पाने के मुश्तहक

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

है। अतः दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज दायर करना लाजिम हुआ है। प्रतिवादीगण खूंखार लोग है, जो उपरोक्त गलत अंकन की आड में मुतनाजा आराजी से वादीगण को बेदखल करके कब्जा नाजायज करना चाहते है। आराजी को दीगर जगह मुन्तकिल करने की पूरी पूरी चेष्टा में है। चूंकि वादीगण बाहर हरियाणा के निवासी है। यदि प्रतिवादीगण ने अपनी इस नापाक चेष्टा में सफलता प्राप्त करली तो वादी को अपार क्षति होगी, कीमत रुपयों में आंकी जाना सम्भव नही होगा। वाद वादीगण दायर करना ही बे–मायना हो जावेगा। इसलिये वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण बब्बल, माडाराम, सन्तराम व मवासी मृतक कन्हैया व उमदा के वारिसान हैं। जो मिलकर मुतनाजा आराजी को जल्द से जल्द गलत अंकन की आड में बेचान कर देना चाहते है। जिन्होने दिनांक 19.12.2012 को ऐलानिया तौर पर धमकी दी है। इसलिऐ प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाईदवामी से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिऐ दिनांक 18.12.2012 जिस रोज उपरोक्त गलत जमाबन्दीयात की जानकारी हल्का पटवारी से मिली एवं इन्कारी दिनांक 19.12.2012 बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा करती है। जिससे वाद वादीगण मामूलन अन्दर मियाद पेश है। प्रतिवादी सं0 1 लीलाराम ने गलत इन्द्राज के आधार पर मुतनाजा आराजी के अपने हिस्से की प्रतिवादी सं 6 के यहां रहन किया हुआ है। इसलिऐ प्रतिवादी सं0 6 को पक्षकार बनाया है। बाद जांच वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के 3/4 भाग ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर के खरीददार खातेदार बरोज खरीद से काबिज व काश्त चले आ रहे है एवं बयनामा सं0 11 दिनांक 03.01.1996 व नामान्तकरण सं0 349 दिनांक 29.01.1996 विधिवत मौका कब्जानुसार दर्ज व स्वीकार फरमाया गया है। जिसके तहत वादीगण आराजी के खातेदारान है तथा जो इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2054 से ताहाल में प्रतिवीगण व उनके बुजुर्गों कन्हैया, उमदा व अमीचन्द पुत्रान नन्दराम के नाम का दर्ज हो रहा है हकूक वादीगण के विरुद्ध नल एण्ड वोइड है। हजफ होने योग्य है। जिसे हजफ फरमाया जाकर वादीगण को आराजी के खातेदार घोषित किऐ जाकर इन्द्राज खातेदारी दर्ज कराया जावे। (ब) प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाईदवामी इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वो मुतनाजा आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 5–10 बीघा के 3/4 भाग वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम को गलत इन्द्राज के आधार पर दीगर जगह रहन बय हिबा लीज आदि से बेचान नही करें, ना ही वादीगण को बेदखल करें, ना हकूक वादीगण समाप्त करे। दोराने वाद मौका एवं रिकार्डस की यथास्थिति कायम रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी 7 की तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 5 व 6 की ओर से जवाब पेश नही किया गया।

प्रतिवादी 1 से 4 की ओर से जवाब पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 118 वादीगण की खरीदशुदा आराजी नहीं है। उसे वाद में बेजा विवादित आराजी बनाया है। प्रतिवादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 107 व 108 का 3/8 भाग बेचान किया गया है। खसरा नम्बर 118 के 3/4 भाग का जवाबदारान के पिता ने दिनांक 03.01.1996 को बेचान नहीं किया है। वादीगण फर्जकारी प्रवृति के लोग है जिन्होने आराजी खसरा नम्बर 107 व 108 के साथ आराजी खसरा नम्बर 118 का बेचान लिखाया है। वादीगण ने फर्जीवाडा करके रजि0/बयनामा में अंकित कराया है। वास्तव में हम प्रतिवादी सं 1 से 3 के पिता ने आराजी खसरा नम्बर 118 का बेचान वादीगण को नहीं किया । ना ही आराजी खसरा नम्बर 118 का कोई प्रतिफल राशि प्राप्त की है ना ही हम प्रतिवादीगण 1 से 3 के पिता अमीचन्द कन्हैया उमदा पुत्रान नन्दराम ने आराजी खसरा नम्बर 118 का कोई कब्जा वादीगण को दिया है। आराजी खसरा नम्बर 118 पर हम जवाबदारान के पिता अमीचन्द कन्हैया उमदा पुत्रान नन्दराम काबिज व दखिल थे, उनकी मृत्यु के बाद हम जवाबदारान प्रतिवादी सं 1 से 3 काबिज व दखिल है। जब वादीगण आराजी खसरा नम्बर 107 व 108 के साथ आराजी खसरा नम्बर 118 का भी इन्तकाल वादीगण अपने नाम चढवाने लगे तो हम जवाबदारान को मालूम होने पर हम जवाबदारान ने वादीगण से कहा कि हमने आपको खसरा नम्बर 107 व 108 बेचान किया है खसरा नम्बर 118 का बेचान नहीं किया है यदि कोई इन्तकाल खसरा नम्बर 118 का अपने नाम चढवाया गया तो हम जवाबदारान वादीगण के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा करेंगे, तब यह तय हुआ कि वादीगण केवल आराजी खसरा नम्बर 107 व 108 का ही इन्तकाल अपने नाम चढवायेगे। तब जाकर खसरा नम्बर 107 व 108 का ही इन्तकाल वादीगण के नाम चढा व खसरा नम्बर 118 का इन्तकाल वादीगण के नाम नहीं चढा। आराजी खसरा नम्बर 118 का इन्तकाल सं0 349 दिनांक 29.01.1996 को वादीगण के नाम स्वीकार हुआ है। जो खसरा नम्बर 107, 108 का ही स्वीकार हुआ है खसरा नम्बर 118 का कोई इन्तकाल वादीगण के नाम स्वीकार नहीं हुआ। इसलिये चौसाला जमाबन्दी 2054 में आराजी खसरा नम्बर 118 का इन्तकाल वादीगण के नाम नही चढा। खसरा नम्बर 118 पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। हम प्रतिवादीगण के नाम पूर्व इन्द्राज की पुनरावृति सही हुई है। जिस पर हम जवाबदार मौके पर काबिज व दखिल है। वादीगण का विवादित आराजी खसरा नम्बर 118 पर कोई कब्जा नहीं है वो गैरकाबिज व गैरवास्ता आराजी है। वादीगण अपने नाम का बतौर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी नहीं है दावा काबिल खारिज है। जब आराजी खसरा नम्बर 118 का हम जवाबदारान के पिता अमीचन्द कन्हैया व उमदा ने वादीगण को बेचान ही नहीं किया तो उनके नाम इन्तकाल दर्ज होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वादीगण आराजी पर काबिज नहीं है वादीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि विवादित

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आराजी के हम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 काबिज खातेदार काश्तकार है मौके पर काबिज है। वादीगण को विवादित आराजी में कोई कानूनी हक व अधिकार हासिल नहीं है। इन्तकाल व रिकार्ड की जानकारी वादीगण को शुरु से रही है। जब वादीगण को बेचान ही नही किया ना ही कब्जा दिया तो वादीगण किसी फर्जी बयनामा दिनांक 03.01.1996 के आधार पर वादीगण अपने नाम इन्तकाल दर्ज व स्वीकार कराने के अधिकारी नही है। वादीगण कोई इन्द्राज दुरुस्त कराने के अधिकारी नहीं है। वाद वादीगण काबिल खारिज है खारिज किया जावे। हम जवाबदार शान्ति प्रिय व्यक्ति है जबकि वादीगण पैसे वाले व्यक्ति है। जब हमारे पूर्वजो ने खसरा नम्बर 118 का बेचान ही नही किया तो बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गैर काबिज वादीगण हम काबिजान खातेदारान के विरुद्ध कोई हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। हम जवाबदारान ने वादीगण को कभी धमकी नही दी दिनांक 19.012.2012 की कहानी मिथ्या मनघडन्त व काल्पनिक दर्ज की हैं। दिनांक 18.12.2012 व 19.12.2012 की या अन्य किसी रोज वादीगण को कोई बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा नही होती है। वाद वादीगण बेरुन मियाद पेश किया है। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वाद में निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या–1

आया वादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नं0 118 रकबा 5.10 बीघा का 3/4 भाग व खसरा नम्बर 107, 108 का 3/8 भाग मिन वादीगण की खरीदशुदा आराजी है। वक्त खरीद से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है।

–जिम्में वादीगण

तनकी संख्या–2

आया वादीगण विवादित आराजीयात का बयनामा के आधार पर इन्तकाल सं0 349 दिनांक 29.01.1996 ग्राम पंचायत खानपुर डागरान द्वारा विधिवत दर्ज किया गया लेकिन जमाबन्दी में अमल नही हो सका। इसलिऐ विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन एवं वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है एवं जर्ये हुक्मइम्तनाइदवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या–3

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (बयाना)

Scanned by CamScanner

आया वादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 107, 108 वादीगण की खरीदशुदा हैं लेकिन खसरा नम्बर 118 से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है खसरा नम्बर 118 का मिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को बयनामा नहीं कराया।

–जिम्मे प्रतिवादीगण 1 से 4

तनकी संख्या –4

आया प्रतिवादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 118 पर मिन प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। वादीगण खसरा नम्बर 118 पर कभी भी काबिज काश्त नहीं थे। वादीगण के नाम इन्तकाल सं 349 दर्ज हुआ वह खसरा नम्बर 107, 108 का है। इसलिऐ वादीगण खसरा नं. 118 पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण सं0 1 से 4

5. दादरसी :

वादीगण द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श–1 बयनामा असल संख्या 11 दिनांक 03.01.1996, प्रदर्श–2 नकल नामान्तकरण सं 349, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संवत 2050, प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी संवत 2054, प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी संवत 2062–2065, प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी संवत 2066 से 2069, प्रदर्श–8 नकल जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 पेश किये तथा साक्ष्यवादी पीडब्ल्यू 1 महावीर, पीडब्ल्यू 2 दीवान के शपथपत्र पेश किये

प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रदर्श पेश नही किये। व साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू–1 लीलाराम, डीडब्ल्यू–2 माडाराम, डीडब्ल्यू–3 बब्बल, डीडब्ल्यू–4 हंसराज व डीडब्ल्यू–5 सुगनराम व डीडब्ल्यू–6 सम्पत के शपथपत्र पेश किये।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित ख0नं0 118 वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम का 3/4 हिस्सा वादीगण ने जर्ये बयनामा सं0 11 दिनांक 03.01.1996 से प्रतिवादीगण के पूर्वज अमीचन्द उमदा व कन्हैया पुत्रान नन्दराम से कय किया था। वक्त खरीद से विवादित खसरा नम्बर 118 के 3/4 भाग पर मिन वादीगण काबिज काश्त है। मुताबिक बयनामा का नामान्तकरण सं 349 दिनांक 29.01.1996 को दर्ज व मन्जूर हो चुका है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तकरण के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल नहीं किया। जबकि वादीगण का पंजीकृत बयनामा है और

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि का अमीचन्द कन्हैया उमदा पि0 नन्दराम के नाम ही अमल रहने दिया गया जो वर्तमान रिकार्ड में उनके वारिसान प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज है। जिनको कलमजन कराकर वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगणों के नाम अमल होने की जानकारी मिन प्रतिवादी गणों को दिनांक 19.12.2012 को होने से नकलात आदि प्राप्त करने में लगने वाले समय पश्चात दावा अन्दर अवधि पेश किया है। प्रतिवादीगण गैरवास्ता गैरकाबिज है। प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जावे । वादीगण को खातेदार काश्तकार मुताबिक बयनामा घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण का बयनामा फर्जी व झूंठा है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने केवल खसरा नम्बर 107, 108 वाके ग्राम खेडी का ही बेचान किया है। खसरा नम्बर 118 का बेचान नहीं किया है। वादीगण का वाद मय हर्जाखर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर विचारोपरान्त तनकीयात का निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी संख्या–1

आया वादीगण विवादित आराजी हाल ख्सरा नं0 118 रकबा 5.10 बीघा का 3/4 भाग व खसरा नम्बर 107, 108 का 3/8 भाग मिन वादीगण की खरीदशुदा आराजी है। वक्त खरीद से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है।

–जिम्में वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर हैं । वादीगण द्वारा आराजी ख0नं0 118/5–10 बीघा का 3/4 भाग, ख0नं0 107, 108 का 3/8 भाग को जर्ये बयनामा संख्या 11 दिनांक 03.01.1996 को सम्बन्धित विक्रेता अमीचन्द उमदा कन्हैया पि0 नन्दराम प्रतिवादीगण को प्रतिफल की राशि अदा कर क्रय की गई है। इसकी ताईद में वादीगण द्वारा मूल दस्तावेज बयनामा पेश किया गया। जिसमें उक्त आराजीयात का खरीद किया जाना बखूबी साबित है। बयनामा के अवलोकन से पाया कि उक्त विवादित आराजी पर विक्रेतागण द्वारा क्रेतागण वादीगण को मौके पर कब्जा सम्भलाया गया हैं जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। बयनामा को कहीं रद्द अथवा चेलेन्ज भी नहीं किया जाने का कोई साक्ष्य पेश नहीं है। अतः यह तनकी वादीगण के हक में साबित है। जो वादीगण के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आया वादीगण विवादित आराजीयात का बयनामा के आधार पर इन्तकाल सं0 349 दिनांक 29.01.1996 ग्राम पंचायत खानपुर डागरान द्वारा विधिवत दर्ज किया गया लेकिन जमाबन्दी में अमल नही हो सका। इसलिऐ विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन एवं वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है एवं जर्ये हुक्मइम्तनाइदवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

:-जिम्मे वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। बयनामा संख्या 11 दिनांक 03.01.1996 के अनसार बयनामा में दर्ज आराजीयात का इन्तकाल सं 349 क्रेता के हक में खसरा नम्बर 107, 108 व 118 का खोला गया। जो ग्राम पंचायत खानपुर अहीर द्वारा दिनांक 29.01.1996 को विधिवत स्वीकार किया गया था। जिसका ख0नं0 107, 108 का अमल राजस्व रिकार्ड में हो गया। परन्तु विवादित खसरा नम्बर 118 का नामान्तकरण का अमल राजस्व जमाबन्दी में नही किया गया। जमाबन्दी में अमल क्यों नही किया इसका कोई कारण नामान्तकरण व जमाबन्दी में अंकित नही किया गया है। प्रतिवादीगणों द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह बात साबित हो सके कि उन्होने इस विवादित खसरा नम्बर 118 का बेचान नही किया। इसलिये दस्तावेज बयनामा दिनांक 03.01.1996 के अनुसार विक्रेता द्वारा खसरा नम्बर 118 का बेचान किया जाना बहक क्रेता/वादीगण साबित है। अब विद्यमान रिकार्ड में खसरा नम्बर 118 का प्रति0/विक्रेतागण के नाम का अमल रहने का कोई उचित कारण नजर नहीं आता है। इसलिये खसरा नम्बर 118 के राजस्व रिकार्ड में विद्यमान विक्रेतागण/प्रति0 के नाम प्रविष्टि को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित कराने के वादीगण अधिकारी साबित है। जिनको हुक्मइम्तनाइदवामी से पाबन्द कराने का अधिकार भी वादीगण को साबित है। प्रतिवादीगणों के द्वारा साक्ष्य प्रतिवादीगण पेश किये है। उनके लिखित शपथपत्र व उनके बयानों में भिन्नता पाई गई है। इसलिये प्रतिवादीगणों की साक्ष्य मान्य नहीं की जा सकती। अतः यह तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

तनकी संख्या–3

आया वादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 107, 108 वादीगण की खरीदशुदा है लेकिन ख्सरा नम्बर 118 से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। खसरा नम्बर 118 का मिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को बयनामा नही कराया।

:-जिम्मे प्रतिवादीगण 1 से 4

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण 1 से 4 के जिम्में है। प्रतिवादीगण ख0नं0 107, 108 को वादीगण की खरीदशुदा आराजी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

स्वीकारते है। जबकि खसरा नम्बर 118 से वादीगण का कोई वास्ता व लेना देना नहीं होना बताया गया। तथा ख0 नं0 118 का प्रतिवादीगण ने वादीगण को कोई बयनामा नही करना बताया है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की कि प्रतिवादीगण के द्वारा खसरा नम्बर 118 का बेचान वादीगण को ना किया हो। बल्कि वादीगण द्वारा पेश किये दस्तावेज बयनामा दिनांक 03.01.1996 के अनुसार प्रति0 1 से 3 के पितागण अमीचन्द कन्हैया व उमदा के द्वारा बेचान किया जाना बखूबी साबित है। दस्तावेज बयनामा उपपंजीयक किशनगढबास द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज है। बहस में फर्जकारी कर बयनामा कराया जाना बताया है। फर्जकारी करने का कोई तथ्य नही बताया। जिससे प्रतिवादीगण का यह तथ्य साबित हो सके। जबकि बयनामा उपपंजीयक कार्यालय में विधिवत पंजीबद्ध है। प्रतिफल की राशि प्राप्त करना व वादीगण को मौके पर विवादित आराजी का कब्जा दिया जाना बयनामा में उल्लेखित है। इस तनकी को साबित करने में प्रतिवादीगण पूर्णतया असफल रहे हैं। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या –4

आया प्रतिवादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 118 पर मिन प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। वादीगण खसरा नम्बर 118 पर कभी भी काबिज काश्त नहीं थे। वादीगण के नाम इन्तकाल सं 349 दर्ज हुआ वह खसरा नम्बर 107, 108 का है। इसलिऐ वादीगण खसरा नं. 118 पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण सं0 1 से 4

इस तनकी को सिद्ध करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण 1 से 3 की है। प्रतिवादीगण का यह कहना कि विवादित खसरा नम्बर पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। काबिज किस प्रकार है। कोई जमा लगान की कोई रसीद आदि पेश नहीं की गई। बल्कि वादीगण के द्वारा पेश शुदा दस्तावेज बयनामा दिनांक 03.01.1996 में विवादित खसरा नम्बर 118 को प्रति0 के पूर्वजों द्वारा बेचान कर कब्जा वादीगण को मौके पर दिया जा चुका है। इन्तकाल सं0 349 भी विवादित आराजी का वादीगण के नाम दर्ज व स्वीकार हो चुका है। जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी कारण के अमल नहीं किया गया। जिस अमल को वादीगण राजस्व रिकार्ड में कराने के अधिकारी होना बखूबी साबित है यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

5. दादरसी :

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उक्त विवेचन व तनकीयात के निणर्य के पश्चात यह पाया कि नामान्तकरण सं 359 विधिवत दर्ज व स्वीकार हुआ परन्तु बिना किसी कारण के व बिना किसी आदेश के राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी खसरा नम्बर 118 के 3/4 भाग का अमल वादीगण के नाम नहीं किया जो कानूनन किया जाना चाहिऐ था। खसरा नम्बर 118 पर प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि नल एण्ड वोइड करार योग्य है। जिस पर वादीगण अपने नाम खातेदारी का अमल कराने के अधिकारी है।

आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। (अ) विवादित आराजी खसरा नम्बर के 3/4 भाग वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गों कन्हैया उमदा व अमीचन्द पुत्रान नन्दराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजी के 3/4 भाग पर वादीगण को बयनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। (ब)प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित खसरा नम्बर 118 पर वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व म दाखलत ना करे। प्रतिवादी 6 ऋण की राशि की भरपाई हेतु सक्षम कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र रहेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णयानुसार बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
323 / 2012	28.12.2012	

उनवान

1. जगदीश
2. सुभाष
3. दीवान पुत्रान लालसिंह जाति यादव
4. इन्दरपाल
5. जतनपाल पुत्रान रामकंवार
6. रामकंवार पुत्र ननवांराम यादव
7. महावीर पुत्र ननवांराम यादव
8. सारलीदेवी पत्नि महावीर
9. श्यामबीर पुत्र महावीर यादव जाति निवासी खेडकी हाल मानेसर तहसील मानेसर जिला गुडगावा हरियाना।

:– वादीगण

बनाम

1. लीलाराम पुत्र अमीचन्द
2. बब्बल दत्तक पुत्र कन्हैया
3. माडाराम पुत्र उमदा
4. संतराम
5. मवासीराम पुत्रान अमरसिंह जाति गूर्जर निवासी खेडी तह0कोटकासिम जिला अलवर राज0
6. शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक शाखा कोटकासिम (अलवर)।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री मनोज यादव अधिवक्ता, वादीगण
2. श्री राकेशकुमार अधिवक्ता प्रतिवादी

आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। (अ) विवादित आराजी खसरा नम्बर के 3/4 भाग वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गों कन्हैया उमदा व अमीचन्द पुत्रान नन्दराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजी के 3/4 भाग पर वादीगण को बयनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। (ब)प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित खसरा नम्बर 118 पर वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व म दाखलत ना करे। प्रतिवादी 6 ऋण की राशि की भरपाई हेतु सक्षम कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र रहेगें। पत्रावली निर्णयानुसार बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

पर्चा आज दिनांक 08.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner